STATEMENT RE STARRED QUES-TION NO. 615 ANSWERED ON THE 24TH AUGUST, 1966

Re. a Point

EXPORTS BY M/S. CHAMANLAL & BROS.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT); Regarding the reply given to parts (a) and (b) of Starred Question No. 615 answered i& the Rajya Sabha on the 24th August, 1966. I would like to make the following correction: —

It was mentioned that out of the sum of $\pounds 305,092$ (Appx. Rs. 40 lakhs) to be realised by M/s. Chamanlal & Bros, and sister concerns, on account of their exports in respect of which the bills were discounted by Dena Bank, a total sum of £88,000 had been repatriated. There has been an inaccuracy in the figures. The actual amount repatriated was \pounds 73,000 and not £88,000 as stated in the reply. The balance to be repatriated would be £232,092 and not £217,092.

RE. A POINT OF PRIVILEGE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : आंसन् अखवारों में आपने भो पड़ा होगा और सदत के सम्मानित सदस्यों ने भी पढ़ा होगा कि कल लखनऊ में मुझे गिरफ्तार किया गया । यूं गिरफ्तारी से में घबराता नहीं हूं...

अो ग्राबिद ग्रजो (महाराष्ट्र) : वहां तो ग्राग की ही सरकार है।

श्रो राजनारायणः ठोक है, वह हमारी सरकार है, तभी ऌुट गया, नहीं तो शायद अभी जेल में रहता । कल मुझे दिनांक 6-4-67 को 3 बजे णाम को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया । मेरी गिरफ्तारी शुद्ध द्वेषपूर्ण, दुर्भावना के साथ अवैध ढंग से की गई । जिस वारण्ट पर मुझे गिरफ्तार किया गया , वह वारंट भी कानून की निगाह में सहीं नहीं है । इसमें तारीख पर न तो मजिस्ट्रेट के दस्तखत हैं, न कोर्टकी सील मोहर है, न किसी का भी इनीशियल है । वह मैन्युपुलेशन है, फोर्जरो है ।

10 मई, सन 66 को उत्तर प्रदेश में संयक्त संघर्ष समिति, जिसका मैं संयोजक था, की स्रोर से लोक कल्याणकारी मांगों जेसे लगान, भूमी, भवन कर की समाण्त, महंगाई की रोक, सस्ते गल्ले की दूकानों को खोलना आदि आदि शामिल हैं, लेकर एक प्रदर्शन का झायोजन लखनऊ में किया गया था । विधान भवन के सामने प्रदर्शन होने के वाद दर्शनकारी तत्कालीन माल मंत्री ओ हकूम सिंह के बंगले पर गये। मैंने वहां पर प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया था। ऐसा लगता है कि बाद में इस घटना को सरकार ने तथाकथित किमिनल ट्रेसपास का मुकद्दमा बनाया ग्रौर उसी के तहत यह वारंट जारी किया । इस सम्बन्ध में मैं यह भी स्पच्ट कर दुंकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभान गुप्त ने विधान समा में यह भी एलान किया था कि घेरा डालो ग्रान्दोलन के संबंध में मकहमे वापस ले लिये जायेंगे । कल गिरफ्तारी के बाद मझे सरकारी सत्रों से यह भी पताचलाकि सारे राजनैतिक मकटमे स्थगित कर दिये गये **ž** 1

मेरी यह गिरफ्तारो वर्तमान प्रथम गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल के निर्मारण के प्रथम दिन नाटकीय ढंग से हुई । इसके पीछे वर्तमान प्रथम गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल को बदनाम करने की साजिश भी है । जो पुलिस ग्रफसरान वर्तमान मंत्रिमंडल को ग्रपने

2776

2777 Re a Point

(श्री राजनारायण]

लिये खतरा समझते हैं और जो भ्रण्ट कांग्रेस शासन में अपनी नाजायज हरकतों के लिये मशहूर थे, मेरी गिरफ्तारी उन्हीं की साजिश का नतीजा है । उन्होंने मेरे और वर्तमान सरकार के बोच तफरका पैदा करने के लिये यह साजिश की है । मुझे इस बात की खुशी है कि मौजुदा मुख्य मंत्री, चौधरी चरएा सिंह जी ने घटना की जानकारी होते ही ग्रविलम्ब उचित कार्यवाही की । उनकी तत्परता के ही कारएग कल मैं 8 बजे रात रिहा हो पाया ।

उपर्युक्त ढंग से मेरी गिरफ्तारी करके मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है । ग्रतः मैं निवेदन करता हूं कि उपर्युक्त मामला विशेषाधिकार समिति में भेजा जाय ।

श्री सभाषति । यह बैकग्राउन्ड मैटीरियल है। वारण्ट में जो गलती है वह बताइये।

श्वी राजनारायण : श्रीमन वही बता रहा हैं जरा सुना जाय । यह वारंट है । वारंट मै इसी लिये अपने साथ लेता आया कि चेयरमैन साहब की खिदमत में पेश कर द ग्रौर सदन के सम्मानित सदस्यों की खिदमत में पेश कर दं। यह वारंट 13-3-67 को कोर्ट ने जारी किया है स्रीर मेरे लिये ही नही मझे पता चला है कि इसी तरह से वारंट डा० जेड० ए० ग्रहमद के लिये. होमी दाजी के लिये, राम सैवक यादव के लिये क्योंकि ये लोग भी उस दिन वहां पर मौजूद थे ग्रीर इन्होंने मीटिंग को ऐड्रेस किया था, सबके लिये हैं। 18-3-67 को कोर्ट के सामने मझे उपस्थित करने के लिये गिरफ्तार करें, इसके लिये नानबेलेबिल वरिंट जारी किया गया था। अब श्रीमन 18-3-67 बीत गयी ग्रीर जब 18-3-67 बीत गयी तो इस वारंट की कानून की निगाह में कोई बैल्य नहीं रह गई । ग्रब यह महत्वहीन हो गया है स्रौर पुलिश को चाहिये था कि

2778

वह इस वारण्ट को ग्रदालत के सामने पश करती ग्रौर ग्रदालत हमारी गिरफ्तारी को जरूरी समझती तो ग्रदालत दूसरा फ्रेंग जारी करती 1 फिर वारंट इस पर न तो कोर्टका दस्तखत है, न तो तो इसमें किसी उसके पेशकार का दस्तखत है, न कोई मोहर है, फोरजरी और मैन्यपुलेशन करके 13.4 इस पर लिख दिया गया और 2-4-67 को इसपर दस्तखत है इंस्पेक्टर. हजरतगंज का ग्रीर न्यायालय को प्राप्त होने के दिनांक का जो कालम है उस पर पुलिस इंस्पेक्टर का हस्ताक्षर है । कल जब मख्य मंत्री को इस घटना की जान-कारी हुई तो वे वेचारे बहुत ही दुखी हये और उन्होंने साफ इस बात को कहा कि मझ को बदनाम करने के लिये ऐसा लगता है कि प्रथम दिन पहले दिन ही ऐसा किया गया। जैसे ही पहले गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ और अपथ खत्म हो गई और ज्यों ही मैं आ रहा हं वहां से उठ कर ग्रपने कमरे में . त्यों ही ढाई बजे के बाद. तीन बजे पुलिस के लोग हमारे यहां आये और कहे कि साहब, आपकी गिरफ्तारी है। वह वारंट दिया गया । वारन्ट में कोई मामला नहीं है। तीन बजे से लेकर 8, साढे 8 बजे तक में बराबर ग्रपने कमरें में बैठा था। मुख्य मंत्री ने बिलकूल सही काननी कार्यवाही की । उन्होंने होम सेकेटरी को बुलाया। होम सत्रेटरी ने मजिस्टेट से बात की ग्रौर उन्होंने कहा कि कोई मजिस्टेट जाकर उनकी जमानत ले क्योंकि गिरफ्तारी हई है। वारन्ट को देखा जाय। हमने उसके ऊपर साफ लिख दिया ''मेरे साथ अवैध कार्यवाही हुई है, वारन्ट गैरकाननी है. उस पर 13-3-67 को न तो मजिस्टेट के हस्ताक्षर हैं, न पेशकार के हैं, न किसी कोर्टकी मुहर है । यदि कायदे से समन द्वारा तलब कराया जायगा तो नियमतः मैं कानून की निगाह में जो सही काम होगा उसके मुताबिक आदेश का पालन करुंगा --राजनारायरा 6-4-67 । ग्रब उन्होंने

2779 Re. o Point

बड़ी मध्किल से हमारे मांगने पर यह दिया । चाहते थे कि इनकी गिरफ्तारी को छिपा दिया जाय । जब उन्होंने देखा कि मौजूदा शासन जस्ट है और मौजूदा शासन उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ है जो कांग्रेसी शासन में खुले आम अवैध काम किया करते थे, जब उन्होंने देखा कि यह शासन उनके खिलाफ सडत कार्यवाही करेगा तो उन्होंने मुश्किल से हमें यह दिया और लिख दिया कि 6-4-67 के सवा 8 बजे रात राज-नारायरण सिंह, एम॰ पी॰, को दो सौ रुपए के जाती मुचलके पर रिहा किया गया । ये उनके हस्ताक्षर है ।

श्वी ग्राबिद ग्रली : बस दो सौ रुपए ही कीमत है ?

श्वी राजनारायण : हमारे' कीमत कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा राजनीति णास्त्र का दार्शनिक था थोरो अमरीका का, उसने कहा है कि --

"If a State is governed by the principles of reason, misery and poverty are subjects of shame. If a State is not governed by the principles of reason, honour and riches are not subjects of shame."

श्रव इसके पहले जो कांग्रेस की तरकार थी वह प्रिंसिपिल आफ रीजन से गवर्न नहीं करती थी। वहां बड़ा पैसा, बड़ा धन तमाम 420 करने वाले . . .

श्री सभापति : राजनारायरण जी, इस किस्से को आप क्यों लेते हैं ? (Interruptions) ग्राप लोग मौका देते हैं।

श्री राजनारायण: मैं श्रापसे यह ग्रर्ज कर रहा था कि 1954 में इसी डीवाई० एत० पी० ने मुझे गिरफ्तार किया था जिसने लखनऊ में ग्रव गिरफ्तार कराया ।

श्री सभाषति : यह तो एनशिएन्ट हिस्टरी है । श्री राजनारायण : में ग्रापको खिदमत में मेलिस साबित कर रहा हूं।

oj Privilege

श्वी सभापति : मैं ग्रापके मामले को विलकुल समझ गया हूं, ग्रापने पहले भी समझा दिया था, ग्राप बहुत काफी कह चुके हैं।

श्री राजनारायण : ठीक है, श्रीमन । आपसे एक अर्ज है कि इस मसले को विगे-पाधिकार समिति को मेजे ताकि इस पर उचित कार्यंवाही हो और ढ़हते हुए कांग्रेसी साम्प्राज्यवाद के रोड़े हमको परेणान न करें। मैं वर्तमान मुख्य मंत्री से भी अपील करता हूं कि वे इस खंडहर के इन रोड़ों को मसल दे ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL-(Gujarat): Mr. Chairman, this is a serious matter which should be referred to the Privileges Committee. I very often do not agree with my friend Shri Rajnarain and some of his methods but on this point I think he is right. It is a very serious matter and the matter should be referred to the Privileges Committee and proper action taken in the matter.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I entirely agree with what my friend has said that the matter should be referred to the Privileges Committee. I have also before me the original warrant of what is purported to be a warrant and It is an extremely suspicious document. Mr. Chairman, we are not concerned with any other thing except what involves our privileges here. The State Government can hand'e the matter in the proper way. If it becomes possible for any police officer or for any magistrate to arrest us whenever he likos and put us in custody whenever he likes, nothing is left of the dignity and honour of this House. They take the House for granted. They think

and they have been made to think under the Congress that they can arrest the people of the Opposition at .any time they like and put them in detention or arrest them in this manner. Unfortunately things have changed. They are not naturally adjusted to the new situation.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Fortunately things have changed.

SHRI BHUPESH GUPTA: Unfortunately for them. For me it is a great day. Now it is a clear case of malice, aggravated malice here because they want to create political complications and the arresting authorities must be doing it with premeditation that by such arrest they will try to create some kind of a confusion and some kind of a rift between some who sit in the Opposition here and the Government which is a non-Congress Government there. Fortunately the Chief Minister has acted rightly and I hope he will take the most severe action against the police officer but we are not concerned with it. Therefore, here is a clear, flagrant violation of everything. The police officers and the magistrates in the country should be made to realise that this Parliament and its Members are not small coins to be dealt with as they like. Therefore, I would earnestly appeal to you: 'Do not treat this as a sort of a routine case'. In the circumstances I take it that you will come to the •conclusion that the man has acted with an aggravated motive. For, motive is Important here, because the policeman sure[^] knew that a non-Congress Government has come into existence of which the S.S.P., of which Shri Rajnarain Is the leader, is a big constituent. Knowing all this they have done it. Therefore, you can understand why they have done. The man should be summoned.

MR. CHAIRMAN: I have understood it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I hope this will go before the Committee. I

move that the matter referred to by Shri Rajnarain be sent to the Privileges Committee.

MR. CHAIRMAN; I would beg of the Members not to use unnecessarily the time of the House. If you are supporting it, you can say wiat you support it. We have understood the matter thoroughly.

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa): I want to bring a new point. In my view it is a fit case to be referred to the Privileges Committee. There are two issues involved in it. One is that he has been prevented from carrying on his duties which have been assigned to him by the electorate and the other is that after the arrest, the magistrate has not informed you till now that he has been arrested. For both the reasons, it is a gross violation of the privileges of this House . . .

MR. CHAIRMAN: No, I have been informed.

SHRI BANKA BEHARY DAS: We are not informed till now.

MR. CHAIRMAN: I did not have the time.

SHRI BANKA BEHARY DAS: So it is a fit case to be referred.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): I support it. During this Session of Parliament an assurance was given that Members will not be arrested in this way. It also contradicts that thing. So it should be referred to the Privileges Committee.

श्री निरंजन वर्मा: (मध्य प्रदेश) मैं श्रीमान से यह निवेदन करूंगा कि हम संतद् के सदस्यगण कोई विश्लेष अधिकार नहीं चाहते, देश में जो कानून हैं उनका पालन करनाँ चाहते हैं । कानून के अनुसार तोन प्रकार के वारन्ट होते हैं—-एक मुचलके पर, एक जमानती, एक गैर-धमानती और जब एक तारीख दे दी दी गई है, बह तारीख निकल गई, उसके

बाद भी प्रगर गिरफ्तारी किसी सदुस्य की की जाती है तो

Re. *a* Point

2783

श्री सभापतिः वर्मा साहब, ये सब बातें कहदी गई हैं।

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated): Sir, as a Member belonging to no party in the House, I would make a few observations. I begin by agreeing with my friend Mr. Patel that I am no political ally in any sense of my friend Shri Rajnarain but I have watched his courage and the difficulties he can create on the floor of this House. All that I know but the question today is this,

{Interruptions)

My friend is adding a rider to what I was saying. He produces a warrant of arrest signed by an Inspector of Police or somebody. This is scandalous in the Independent Republic of India. This is no longer the day of the British Zulum. It is our Government, they are our people and he is our man and a Member of Parliament. If a Member of Parliament is not treated with dignity, to whichever party he belongs, then the danger is to Parliament and not to any party. It is not signed properly. Then it was issued before the new Ministry took charge. The thing looks suspicious. I know that the Chief Minister has intervened at once and let him off on bail and so on and if we are to accept his word, the new Chief Minister is annoyed at this. AH this creates a very bad taste in the mouth of the people. And this is a party which is already in the doldrums. They should take great care not to create this kind of a bad impression in the country . .

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am not con" cerned with any party; I am concerned -with the privilege of the House.

श्रो प्रतुल चन्द्र भित्र : (बिहर) एक ही बात कहनी है। यह जो अभो गैर-

of Privilege 2784

कांग्रेस सरकार यू॰ पी॰ में है उसके बारे में न कह कर कांग्रेस सरकार के बारे में जो कुछ कहा गया है यह इसके साथ कोई रेलेवेन्सी नहों रखता क्योंकि गैर-कांग्रेस सरकार ने जो गलती की है उसको छिपाने के लिये खास कर अभी कोशिश हो रही है। मेरा एक पौइन्ट है: जो प्रिवेलेज कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने पूरो वात नहीं जान कर, पहले ही ग्रपनी राय वहां के बारे में दी है इसलिये प्रिवलेज कमेटी में वह सदस्य न रहें क्योंकि श्री भूपेश गुप्त, जहां तक मेरी जानकारो है उसकमेटो के सदस्य हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA: On a point of order, Sir; he cannot say things without understanding what I said.

श्री प्रतुल चन्द्र सिक्ष : घपनी राय जांच करने के पहले हो दे दो इसलिये उस प्रिवेलेज कमेटी में श्री भूपेश गुप्त न रहें और जो बातें सभी यहां कही गई हैं वह प्रिवेलेज कमेटी ध्यान में नहीं ले । जो कागज पत्न है वह रखा जाय और जो पहले प्रजुडिस करने को बातें कही गई हैं वह नहीं रखी जायें ।

श्री सभापति: अच्छो बात है। श्री गंगांशरण सिंह।

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): On a point of clarification, Mr. Chairman.

MR. CHAIRMAN: I have called Mr. Gangasharan Sinha. He very seldom speaks.

श्री गंगा शरण सिंह : (बिहार) श्रीमन मुझे इस सम्बंध में विशेष नहीं कहना है लेकिन आपकी मार्फत मैं सदन की दूसरी ओर के जो सदस्य हैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को पार्टी का प्रश्न न बनाया जाय । जो परिस्थिति राजनारायण जी ने बतलाई है जिस रोज उनकी गिरपतारी हई है और जिस तरह का यह वाकया है और

[श्री गंगाशरण सिंह]

Re. a Point

जो सारा वातावरण है उससे शक पैदा होता है और यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। राजनारायण जी ने कांग्रेस व गैर-कांग्रेस गवनैमेंट के बारे में जो कहा ग्रीर जो विचार उन्होंने प्रगट किये उन्हें छोड़ दीजिये, लेकिन जो परिस्थिति बतलाई गई है ग्रौर जिस प्रकार की घटना बतलाई गई है और जिस वातावरण में सारा वाकया हबा है वह एक पालियामेंट के मेम्बर के प्रति श्रोभनीय व्यवहार नहीं हम्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इस लिये मेरा निवेदन और अन्रोब है. कि इसे विवाद का विषय न बनाकर प्रिवलेज कमेटी में भेजा जाना चाहिये।

प्रतुल वाबू ने कहा कि जो अपनी राय जाहिर कर चुके हैं उनको प्रिवेलेज कमेटी में नहीं रहना चाहिये, वह ठीक नहीं है। बात यह है कि जो भी राय जाहिर की गई है वह 'मेरिट' पर नहीं को गई है। अभी तो यह राय जाहिर की गई है कि इसको प्रिवेलेज कमेटी में जाना चाहिये या नहीं और अगर कोई इस विषय को प्रिवेलेज कमेटी में जाने के पक्ष में राय प्रगट करता है तो इससे उस सदस्य का प्रिवेलेज कमेटी में रहने का अधिकार नहीं छिन जाता।

SHRI M. M. DHARIA: (Maharashtra): Sir, I entirely agree with the view now expressed by the hon. Member, Ganga Babuji, just now. Unfortunately, I am really sorry when, as happened now, parties are dragged in this dispute. It is not at all the Congress Party which is to be blamed if Mr. Rajnarain is arrested. It is under the regime of a non-Congress Party rule that he has been arrested, and it is for the Chief Minister concerned, or the Government concerned, to take action against those who are guilty of that. But to bring in the Congress Party and political colour to this whole aspect is absolutely wrong, improper and not at all befitting the

of Privilege 2786

occasion. Sir, I do feel that as Members of Parliament we do enjoy certain privileges in this country and they should remain unfettered, and if the police officers or somebody else are going to challenge those privileges this way, it is necessary that they must be called before the Privileges Committee and the Privileges Committee must be requested to go into all these aspects and to come before this House with its report. Therefore I stand by the suggestion made by Ganga Babuji not to bring in any political colour to this aspect.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: It is all black colour.

SHRI M. M. DHARIA: If the friends from the other side desire or intend ⁱⁿ any way to blackmail the Congress over this issue, I would say that it will not be fair, and here they have done that. Mr. Rajnarain has done that, which he should not have done.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: What is the blackmail here?

SHRI M. M. DHARIA: Therefore my submission to the House is this. Let us not bring any sort of political colour to this aspect, the arrest of Mr. Rajnarain without proper warrant, or a warrant which was not signed by the proper authority when it was renewed; it is absolutely improper.

MR. CHAIRMAN: So far as I am concerned, there is nothing political. I have to deal with the matter on its-merits.

SHRI M. M. DHARIA: Therefore, Sir, I would submit that the whole House should agree to referring this matter to the Privileges Committee and no political colour should be brought in. This is my suggestion to the other side as well.

SHRI P. N. SAPRTJ: Mr. Chairman, I would like to clarify one point of the matter. I have been a member of the Privileges Committee for a num-

2785

2787 Re. a Point

ber of years and I can testify to this fact that Mr. Bhupesh Gupta has always acted very honourably in the Privileges Committee. He has never taken any interest in the Privileges Committee, has not taken part in the Privileges Committee when any question affecting him, or anyone about whom he has spoken in the House has been referred to it.

MR. CHAIRMAN: You are quite sure of that.

SHRI P. N. SAPRU: I wanted to pay a tribute to the integrity with which he had worked as a member or' the Privileges Committee.

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar): Mr. Chairman, it is a well-established tradition in all mature democracies that two issues are never treated as partisan issues : No. 1, the issue of privilege; No. 2, the issue of disqualification or qualification of Members, because these two issues really affect (1) the dignity of the whole House, not the dignity of a Member concerned, much less the dignity of a party. The other issue of disqualification or qualification, really relates to the proper and pure composition of the House, the highest legislative body in the country. It is unfortunate that in this Parliament, both these issues-I nave watched with some concern during the last fifteen years-both these issues have been made party issues. Who is more to blame, whether the Opposition, or whether we on this side, is not for me to say at this stage.

AN HON. MEMBER: Why don't you?

SHRI B. K. P. SINHA: But I feel that the time has come when we must establish firmly the convention here that when issues of privilege are raised. No. 1 they should not be raised for partisan advantage, and No. 2 they should not be opposed on partisan grounds. And, therefore, I feel that this issue should be judged on its merits regardless of party affiliation. If there are some on that side

who feel that it should not go before the Privileges Committee, they should not be inhibited by partisan considerations. And the same applies to hon. Members on this side. It is for the House to decide whether this issue is a proper issue for the Privileges Committee, or not, but I will request the House to treat this issue in a nonpartisan Manner and in a non-partisan spirit.

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : सभा-पति महोदय, मझे एक ही निवेदन करना है कि जैसा अन्य मित्रों ने कहा है कि यह विशेषा-धिकार का प्रश्न है, यह कोई दल से संबन्ध नहीं रखता है। मुझे तो आण्चर्य यह होता है है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह पिछले कुछ दिनों में पांच दस बार यह दोहरा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही को जो अधिकार पहले थे वे अब नहीं रहेंगे लेकिन मुझे आक्ष्वर्यं हुन्रा कि राजनारायण जी को रिहा हो ने में पांच घंटे लगे और जो पक्ष उन्होंने प्रस्तूत किया है उससे आश्चर्य होता है कि झव तक सम्बन्धित झाफिसर मुधत्तिल क्यों नहीं हुआ है, इतनी बुलन्द, कान्तिकारी, सरकार के होते हुए भी । वह हो जाना चाहिये था। जो केवल दो तथ्य दिये हैं अगर वे तब्य सही हैं तो कांग्रेसी मुख्य मन्त्री हो या गैर-कांग्रेसी मुख्य मन्त्री हो, उसको तरन्त उस ग्रधिकारी को मुग्रत्तल करना चाहिये और उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी। तो मुझे ग्राश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जो पिछले पांच दिनों में कम से कम दस बार कह चके, ग्रखवारों में ग्राया है, कि सारी दूनिया बदल गई है, क।न्तिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो गया है लेकिन उस परिवर्तन को हम देख नहीं पाए । सभापति महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा हं कि मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हं । लेकिन मैं ग्रापसे एक निवेदन करूंगा कि यह अधिकार सभापति महोदय को होना चाहिये कि ग्राप देख लें ग्रीर उसकी जांच कर लें ग्रीर विशेषाधिकार समिति को भेज

2788

2789 Re. a Point

द । कम से कम हम लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

[RAJYA SABHA]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VTDYA CHARAN SHUKLA): Sir, I share the anxiety of the hon. Member in this respect, but I would submit that we should be given some time so that we can refer this matter to the Government of U.P., get the facts from them, and then we shall came to the House again tomorrow and place the facts as we obtain them from the U.P. Government. And then the House in its wisdom can take a decision in this respect.

MR. CHAIRMAN: I take a very serious view of this matter. But with regard to the teachnique of doing, if the House agrees, I would allow the Home Minister to make enquiry and let us know by tomorrow . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: This is strange. The issue is not between us and the Home Ministry. This is between the House and the person responsible fcr it. How does the Home Minister ctane into it?

MR. CHAIRMAN: You need not say anything. I have made up my mind. If there is any objection to that . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: I do object.

MR. CHURMAN: I thought it would facilitate matters, but if there is any objection, I have made up my mind. I think the arrest was made on a warrant which appears *prima facie* to be a *very*, very doubtful document and so the matter should be referred to the Privileges. Committee with the request that they should submit their repo:it before the end of the next session.

Then the question was asked - whether we have received informa-

tion. We have received information and I have the telegram here.

of Privilege

RE. MADAME SVETLANA

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) श्रीमन ।

MR. CHAIRMAN: About Svet-lana? I have come to a conclusion on the question of privilege that you have raised. Mr. Gaure Murahari showed me the letter in your absence.

श्वी राजनारायण : जी हां, श्रीमन्, स्वेतलाना का खत ग्राप को इन्होंने दिखा दिया है। एक नई इन्फार्मेंशन ग्राप को दे दूं। स्वीटजरलैण्ड की सरकार की ग्रोर से भी ग्रखवारों में वक्तव्य ग्रा चुका है कि स्वेतलाता ने समाजवादी नेता डा० राम मनोहर लोहिया को एक खत भेजा है ग्रीर ग्रब इससे वह पत्न कनफर्म हो जाता है।

श्री सभापति : ग्रापने भी मुझे समज्जा दिया ग्रौर मैंने वह खत भी देख लिया है। ग्रव मैं ग्राप को बता रहा हूं जो मैंने फैसला किया है :

The matter concerning Madame Svetlana has been raised in thig House on a number of occasions this session by Shri Rajnarain and the Minister of External Affairs has made statements on the subject. I have also received notice of a question of breach of privilege concerning the statement of the Minister which I have disallowed as I have taken the view that no breach of privilege was involved.

The latest development in this matter is the production of a letter said to have been written by Madame Svetlana to Dr. Lohia. It has been urged that Shri Dinesh Singh, who was Minister of State in the Ministry of External Affairs at the relevant time and to whom the lady is alleged